-1-

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

21

रिवि- 2416-III/06

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ रिव्यू

श्री एम.के. ... अभिभाषक ... द्वारा आज दि० 30/12/06 को प्रस्तुत।
... अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

१। छक्कीलाल पुत्र श्री मोतीलाल
२। बिहारीलाल पुत्र श्री मोतीलाल
३। गौरीशंकर पुत्र श्री काशीराम
४। रामसिंह पुत्र श्री काशीराम
५। कमलकिशोर पुत्र श्री काशीराम
सभी निवासीगण ग्राम बसवाहा
तहसील व जिला दतिया, म०प्र०

--- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। सावित्री पत्नी श्री कल्लू
२। रानी पुत्री श्री हरीराम
३। जिन्ना पुत्री श्री हरीराम
४। कोमलसिंह पुत्र श्री बाबूलाल
५। मिथिला देवी बेवा श्री छोटेलाल
६। कुसुमा बेवा छोटेलाल
७। छाया नाबालिग पुत्री श्री छोटेलाल
संरक्षक मां कुसमा स्वयं
८। कुंदो पत्नी श्री बाबूलाल
९। रामजीशरण पुत्र श्री हरीराम
सभी निवासीगण ग्राम बसवाहा,
तहसील व जिला दतिया, म०प्र०

-- प्रतिप्रार्थीगण

30/12/06

पुनरावलोकन आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (श्री जे०टी०एक्का साहब) दिनांक २८-०६-२००६ अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र०

क्रमश: २

P/12

Rev.- 2416. /06 (इटावा)

भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक २२३२ एक।०५ निगरानी ।

श्रीमान,

रिव्यू का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि इसमाननीय न्यायालय की आज्ञा प्रत्यक्षादर्शी भूलों पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

(२) यहकि इसमाननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से जो आपत्तियां निगरानी मेमो में उठाई गई थी तथा मौखिक तर्कों में व्यक्तकी गई थी उन पर विवादितआदेश पारित करते समय न तो कोई विचार ही किया गया और न उनका उल्लेख ही विवादित आदेश में किया गया । यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

(३) यहकि विवादित आदेश पारित करने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकनभी नहीं किया गया और ना ही अभिलेख मंगाया गया जबकि तथ्यों के सम्बन्ध में आपत्तियां होने के कारण अभिलेख बुलाया जाना आवश्यक था इस सम्बन्ध में बने नियमों एवम माननीय उच्च न्यायालय के अभिनिर्णयों पर भी कोई विचार नहीं किया गया है । यह भूल भी ऐसी प्रत्यक्षादर्शी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

(४) यहकि जब प्रार्थीगणों के तर्कों का कोई उल्लेख ही विवादित आदेश में नहीं है तब ठोस आधार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ऐसी स्थिति में पुनराविलोकन आवेदनस्वीकार योग्य है ।

अस्तु रिव्यू का यह आवेदनपत्र प्रस्तुत करके निवेदनहै कि विवादित आज्ञा निरस्त की जाकर निगरानी आवेदन स्वीकार किये जाने बाबतआदेश प्रदान किये जाने की कृपा की जाय ।

दिनांक -०७-२००६

प्रार्थी,

छक्कीलाल आदि -- प्रार्थीगण

द्वारा अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-----------

प्रकरण कमांक 2416–तीन/2006 पुनरावलोकन जिला दतिया

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों हस्ताक्षर
2-1-17	न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2232–एक/005 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–6–2006 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में दिये गये आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्र0क0 2232–एक/005 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर एंव न्यायालय के प्रकरण कमांक 2232–एक/005 के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 28–6–2006 की समीक्षा पर विचार किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को के दौरान उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन में अंकित किये हैं। किसी भी प्रकरण में पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु संहिता की धारा 51 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई – 1. प्रत्यक्ष दर्शी भूल अथवा नियमों की त्रृटि, 2. किसी ऐसे अभिलेख की प्राप्ति तथा प्ररतुतीकरण, जो उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जब कि आदेश पारित किया गया एंव वाद में शोध पर प्राप्त हुआ, 3. अन्य पर्याप्त हेतुक . आवेदक के अभिभाषक उक्त आधारों के कम में समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 28–6–2006 का पुनरावलोकन किन आधारों पर संभव है। इसके विपरीत प्रकरण कमांक 2232–एक/005 के तथ्यों एंव आदेश दिनांक 28–6–2006 में स्पष्ट कर दिया गया है कि महिला सावित्री के फर्द पर सहमति के हस्ताक्षर नहीं	

है जिसके कारण आदेश दिनांक 28–6–06 पारित करते समय अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19–12–2005 को सही होना माना गया है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 28–6–06 में फेर–बदल की गुँजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है।

सदस्य